१०/०७/१७

यह जमानत प्रार्थना पत्र वाद सं० ६६९/१२ धारा ३२३,३२४,५०४भा०द०स० थाना कम्पिल मे आवेदक रामबाबू द्वारा दाखिल किया गया हैं।

अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि अभियुक्त को झूठा व रंजिशन मे फसाया गया है उसने कोई मारपीट व गाली गलौज नही किया। है।

अभियोजन अधिकारी द्वारा आख्या दी गयी है कि आरोप पत्र के अनुसार मु० अ०स०१४६/१२ धरा ३२३,३२४,५०४,भा०द०स० मे वांछित है।

सुना एवं पत्रावली का अवलोकन किया।

अभियुक्त न्यायिक अभिरक्षा मे हैं

मामले के तथ्य व परिस्थितियो जमानत आधार पर्याप्त हैं। अतः अभियुक्त द्वारा मु० २००००/-रूपये की दो जमानते व इसी धनराशि का बन्ध पत्र दाखिल करने पर जमानत पर रिहा किया जाता हैं।

जे०एम० कायमगंज